आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Department of Social Welfare, Uttar Pradesh

Old Age Pension Scheme

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की यह योजना 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के गरीब बुज़ुर्गों को हर महीने पेंशन देती है। आवेदन से भुगतान तक सारा काम ऑनलाइन होता है।

क्या मिल सकता है

हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिलती है। यह पैसा साल में चार किस्तों में, हर तीन महीने पर, सीधे बैंक खाते में आता है।

किसके लिए है

उत्तर प्रदेश के 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के कम आमदनी वाले बुज़ुर्ग।

मुख्य शर्तें

- उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
- सभी साधनों से सालाना आमदनी गांव में 46,080 रुपये तक और शहर में 56,460 रुपये तक होनी चाहिए।
- जो व्यक्ति पहले से किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, वह आवेदन नहीं कर सकता।

दस्तावेज़

- आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएं और वृद्धावस्था पेंशन के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन चुनें।
2. अपनी जानकारी भरें और फोटो तथा आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
3. फॉर्म ऑनलाइन जमा करें। बाद में इसी पोर्टल पर लॉगिन करके स्थिति देख सकते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://samajkalyan.up.gov.in/en/article/old-age-pension-scheme
आधिकारिक आवेदन: https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserRegistrationForm.aspx?Scheme=OldAgePension
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttar-pradesh/up-old-age-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।